

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र सं०-****4300 वर्ष 2026**

अमन सिंह

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख सचिव गृह लखनऊ के माध्यम से और 4 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता : जयकरणप्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शा. अधि.

न्यायालय सं०. - 11**माननीय न्यायमूर्ति, राजीव सिंह**

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान एजीए को सुना मैंने और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. यह जमानत याचिका प्रार्थी की ओर से मुकदमा अपराध सं०.328 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 137(2), 87 बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम की धारा 11/12, हरचंदपुर, जिला रायबरेली में, उन्हें जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. प्रार्थी के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रार्थी निर्दोष है और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 20.2.2026 से कारावास में निरुद्ध है। वह

आगे यह भी कहते हैं कि विवेचना के दौरान पीड़िता का बयान दर्ज किया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

था, जिसमें, उसने कहा कि परिवार के सदस्यों द्वारा डांटे जाने के कारण, वह अपनी मर्जी से घर से निकल गई थी। वह आगे निवेदन करते हैं कि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और प्रार्थी मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। वह आगे यह भी कहते हैं कि वह भविष्य में किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। ऐसी परिस्थितियों में, प्रार्थी ज़मानत पाने की अधिकारी है। ज़मानत पर रिहा होने पर, वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए, ने प्रार्थी की ज़मानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन वह इस तथ्य को नहीं नकारते कि पीड़ित ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, प्र.सू.रि. की विषय-वस्तु, व अन्य सुसंगत दस्तावेजों, अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्य और परिस्थितियां, को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि प्रार्थी ज़मानत पर रिहा होने की अधिकारी है।

6. प्रार्थी- **अमन सिंह-** को उक्त मुकदमा अपराध में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत मुचलका और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ ज़मानत पर रिहा किया जाए:-

- i. प्रार्थी उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगी जिसका उस पर आरोप है, या संदिग्ध है, उस अपराध के लिए जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- ii. प्रार्थी मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो सके अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सके।
- iii. प्रार्थी को यह शपथ-पत्र देना होगा कि साक्ष्य के लिए नियत तारीख पर जब गवाह अदालत में उपस्थित हों वह स्थगन की मांग नहीं करेगा। प्रार्थी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दौरान विचारण अभियोजन पक्ष का सहयोग करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के पास इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार आदेश पारित करने का अधिकार होगा।

- iv. प्रार्थी को निर्धारित प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहना होगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना, अनुपस्थित रहती है, तो विचारण न्यायालय अंतर्गत धारा 229-अ भा.द.सं./अंतर्गत धारा 269 बीएनएस में उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है।
 - v. यदि, प्रार्थी मुकदमे के दौरान जमानत का दुरुपयोग करती है तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अंतर्गत धारा 82 द.प्र.सं./ अंतर्गत धारा 84 बीएनएस में उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहती है, तब, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध, अंतर्गत धारा 174-अ भा.द.सं./ अंतर्गत धारा 209 बीएनएस में, विधि के प्रावधानों के अनुसार, कार्यवाही शुरू करेगा।
 - vi. प्रार्थी को तय तिथियों पर विचारण न्यायालय के सामने (i) मुकदमे की शुरुवात में, (ii) आरोप तय करते समय (iii) धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत बयान दर्ज करते समय, स्वयं मौजूद रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय के विचार में, प्रार्थी की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसे चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मानेगा और उसके खिलाफ विधि के अनुसार कार्यवाही करेगा।
7. शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, यह ज़मानत को निरस्त करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(राजीव सिंह, न्यायाधीश)

जून 10, 2026

गौरव/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।